लागू कर की दरें

निर्धारण वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 के संबंध में एक वरिष्ठ नागरिक निम्न में से पुरानी या नई कर व्यवस्था मे से विकल्प चुन सकते हैं:-

क. पुरानी कर व्यवस्था के अंतर्गत 60 से 80 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर की दरों के स्लैब

आय स्लैब	आयकर की दर
3,00,000/- रुपये तक	शून्य
3,00,001/- रुपये से 5,00,000/- रुपये तक	5% (यदि कर योग्य आय 5 लाख तक है तो धारा 87ए के अंतर्गत कर राहत के उपरांत कर देयता शून्य होगी
5,00,001/- रुपये से 10,00,000/- रुपये तक	10,000/- रूपये + 5,00,000/- रूपये से अधिक राशि का 20%
10,00,000/- रुपये से अधिक	1,10,000/- रूपये + 10,00,000/- रूपये से अधिक राशि का 30%
अधिभार (सीमांत राहत के विषयाधीन)	यदि कर योग्य आय 50 लाख से अधिक है तो अधिभार का प्रतिशत 10% से 37% तक भिन्न हो सकता है।
स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर	(आयकर + अधिभार) का 4%

ख. पुरानी कर व्यवस्था के अंतर्गत अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर की दरों के स्लैब (80 वर्ष या अधिक आयु के)

आय स्लैब	आयकर की दर
5,00,000/- रुपये तक	शून्य
5,00,001/- रुपये से 10,00,000/- रुपये तक	5,00,000/- रूपये से अधिक राशि का 20%
10,00,000/- रुपये से अधिक	1,00,000/- रूपये + 10,00,000/- रूपये से अधिक राशि का 30%
अधिभार (सीमांत राहत के विषयाधीन)	यदि कर योग्य आय 50 लाख से अधिक है तो अधिभार का प्रतिशत 10% से 37% तक भिन्न हो सकता है।
स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर	(आयकर + अधिभार) का 4%

ग. वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी व्यष्टियों के लिए व्यक्तिगत कर की नई व्यवस्था (115BAC)

आय स्लैब	आयकर की दर
2,50,000/- रुपये तक	शून्य
2,50,001/- रुपये से 5,00,000/- रुपये तक	5% (यदि कर योग्य आय 5 लाख तक है तो धारा 87ए के अंतर्गत कर देयता शून्य है)
5,00,001/- रुपये से 7,50,000/- रुपये तक	12,500/- रूपये + 5,00,000/- रूपये से अधिक राशि का 10%
7,50,001/- रुपये से 10,00,000/- रुपये तक	37,500/- रूपये + 7,50,000/- रूपये से अधिक राशि का 15%
10,00,001/- रुपये से 12,50,000/- रुपये तक	75,000/- रूपये + 10,00,000/- रूपये से अधिक राशि का 20%
12,50,001/- रुपये से 15,00,000/- रुपये तक	1,25,000/- रूपये + 12,50,000/- रूपये से अधिक राशि का 25%
15,00,000/- रुपये से अधिक	1,87,500/- रूपये + 15,00,000/- रूपये से अधिक राशि का 30%
अधिभार (सीमांत राहत के विषयाधीन)	यदि कर योग्य आय 50 लाख से अधिक है तो अधिभार का प्रतिशत 10% से 37% तक भिन्न हो सकता है।
स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर	(आयकर + अधिभार) का 4%

नोट: धारा 115BAC के अंतर्गत नई कर व्यवस्था चुनने वाले करदाता को अध्याय VIA के अंतर्गत कर कटौतियां और मानक कटौती उपलब्ध नहीं होगी, धारा 80CCD(2) के अंतर्गत उपलब्ध कटौती को छोड़कर।

आयकर विभाग

आयकर विभाग
(जन संपर्क, प्रकाशन व प्रचार)
छठवीं मंजिल, मयूर भवन, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली - 110001

@incometaxindiaofficial @Income Tax India @incometaxindia.official
@IncomeTaxIndia @Income Tax India Official

मार्च, 2023

इस पैम्प्लेट को कानून का संपूर्ण विवरण नहीं माना जाना चाहिए।
संपूर्ण विवरण के लिए आयकर अधिनियम, 1961 देखें।

www.incometax.gov.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

G20 भारत 2023 INDIA

आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध लाभ

- *उच्च मूल छूट सीमा*
- *मेडिकल बीमा प्रीमियम के लिए उच्च कटौती*
- *बैंक और डाकघर से ब्याज पर अधिक छूट*
- *आईटीआर दाखिल करने से छूट व अन्य भी बहुत कुछ.......*

आयकर विभाग

आयकर विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

प्रत्यक्ष करों के अंतर्गत वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध लाभ

वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिक कौन है ?

वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिक वह व्यक्ति निवासी है जो संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय क्रमशः 60 वर्ष से अधिक (परन्तु 80 वर्ष से कम) और 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु के है।

वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च मूल छूट सीमा?

वर्तमान में निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए साधारण व्यक्ति करदाताओं के लिए 2.50 लाख रुपये की मूल छूट सीमा निर्धारित की गई है। इस सीमा तक उसे किसी भी कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, वरिष्ठ नागरिकों के लिए मूल छूट सीमा 3 लाख रुपये और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपये की उच्च राशि पर निर्धारित की गई है।

अग्रिम कर के भुगतान से छूट

प्रत्येक व्यक्ति जिसकी वर्ष के लिए अनुमानित कर देयता 10,000/- रुपये या अधिक है, वह अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। हालांकि, एक वरिष्ठ नागरिक को किसी भी अग्रिम कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है बशर्ते उसे "व्यापार या व्यवसाय" से "लाभ या अभिलाभ" शीर्ष के अंतर्गत कोई आय नहीं है।

मानक कटौती के लाभ

निर्धारण वर्ष 2020-21 से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 16 के अंतर्गत व्यक्ति द्वारा वेतन आय में से 50,000/- रुपये तक की मानक कटौती का दावा किया जा सकता है। तदनुसार, ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो अपने पूर्व नियोक्ता से पेंशन आय प्राप्त कर रहे हैं वे ऐसी आय में से 50,000/-रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं।

चिकित्सा बीमा प्रीमियम के लिए उच्च कटौती सीमा

निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए, एक वरिष्ठ नागरिक के संबंध में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए किए गए भुगतान के संबंध में धारा 80डी के अंतर्गत कटौती के लिए अधिकतम सीमा 50,000/- रुपये की अनुमति दी गई है तथा अन्य व्यक्तियों के लिए यह सीमा 25,000/-रुपये है। वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर किए गए चिकित्सा व्यय के लिए 50,000/- रुपये की भी अनुमति दी जाती है बशर्ते ऐसे व्यक्ति के स्वास्थ्य बीमा के लिए कोई राशि अदा न की गई हो। इस कटौती का दावा करने के लिए यह अनिवार्य है कि स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम/चिकित्सा व्यय नकद के अलावा अन्य किसी भी माध्यम से भुगतान किया गया हो।

किसी विशिष्ट रोग या बीमारी के चिकित्सा उपचार के लिए किए गए व्यय के संबंध में उच्च कटौती सीमा

सामान्य करदाताओं के लिए, निर्दिष्ट रोग या बीमारी के लिए स्वयं या आश्रित परिवार जन पर चिकित्सा उपचार के लिए किए गए खर्च के संबंध में धारा 80डीडीबी के अंतर्गत उपलब्ध कटौती की राशि 40,000/-रुपये है। तथापि, यदि करदाता द्वारा आश्रित वरिष्ठ नागरिक के संबंध में व्यय किया जाता है तो यह पात्रता निर्धारण वर्ष 2019-20 से 1 लाख रुपये है।

बैंक और डाकघर से प्राप्त ब्याज हेतु उपलब्ध उच्च कटौती

वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यष्टि करदाताओं को धारा 80टीटीए के अंतर्गत बचत बैंक खातों से ब्याज आय के संबंध में 10,000/- रुपये की अधिकतम कटौती की अनुमति है। हालांकि, निर्धारण वर्ष 2019-20 से धारा 80टीटीबी के अंतर्गत न केवल बचत बैंक खातों से अर्जित ब्याज आय के संबंध में बल्कि किसी भी बैंक में, डाकघर या सहकारी बैंकों में किसी भी जमा पर अर्जित ब्याज आय पर भी वरिष्ठ नागरिक 50,000/- रुपये की कटौती का दावा कर सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि वर्ष के दौरान उसके द्वारा अर्जित ऐसी ब्याज आय 50,000/-रुपये से कम है तो दाता बैंक, डाकघर ऐसी ब्याज आय में से कोई भी कर की कटौती नही करेगा।

आयकर विवरणी मैन्युअल रूप से दाखिल करने की पात्रता

80 साल या अधिक आयु का अति वरिष्ठ नागरिक सहज फार्म (आईटीआर-1) या सुगम फार्म (आईटीआर-4) में अपनी आय की विवरणी दाखिल करता है उसकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक है या प्रतिदाय का दावा करता है तो वह कागज मोड में आय की विवरणी फाइल कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए, आईटीआर-1 या आईटीआर-4 का इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग (जैसा भी मामला हो) अनिवार्य नहीं है। तथापि, वह ई-फाइलिंग के लिए विकल्प चुन सकते हैं, यदि वह ऐसा करने का विकल्प चुनता है।

स्रोत पर कर की कटौती नहीं करने के लिए प्रपत्र संख्या 15H

यदि संबंधित वर्ष की उसकी अनुमानित कुल आय पर कर शून्य में आता है तो वह वरिष्ठ नागरिक उस धारा में निर्दिष्ट आय पर टीडीएस की कटौती न करने के लिए कटौतीकर्ता को प्रपत्र संख्या 15H प्रस्तुत कर सकता है।

'रिवर्स बंधक योजना' के अंतर्गत पूंजी परिसंपत्ति के हस्तांतरण पर आयकर प्रावधान

केंद्र सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई और अधिसूचित की गई रिवर्स बंधक योजना के अनुसार एक रिवर्स बंधक के माध्यम से एक आवासीय गृह संपत्ति का हस्तांतरण, पूंजीगत अभिलाभ के रूप में कर लगाने के योग्य नहीं है (और न ही आय के किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत)

आईटीआर दाखिल करने से छूट

निर्धारण वर्ष 2022-23 से 75 वर्ष या अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के मामले में, जिन्हें केवल पेंशन से आय है तथा जिस बैंक में पेंशन प्राप्त होती है, केवल उसी बैंक के खाते में ब्याज आय प्राप्त होती है ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को आयकर विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। निर्दिष्ट बैंक उसकी कुल आय की गणना करने और अधिनियम की धारा 87A के अंतर्गत छूट तथा अध्याय -VI-A के अंतर्गत स्वीकार्य विभिन्न कटौतियों का लाभ देने के उपरांत कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी होंगे।